

२५/२/२६

अधिवक्ता अपीलांत अनु. प्रकृषा में अधिवक्ता अपीलांत
व अपीलांत ही न्यायालय ही ओर से घाट-२
प्रवाजे लगायी गयी, किन्तु इनही ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उक्त अपील अदम
हाजी। अदम-पेंरकी में खारिज ही जाती है। पत्रावली
फैखण शुमार होकर बाद आवश्यक इतिवाही दायिण

दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली